रजिस्टर्ड

प्रेषक,

सेवा में

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

प्रबन्धक,
आइडियल एलीमेन्ट्री हायर सेकेण्डरी,
स्कूल अर्जुनगंज, लखनऊ ।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता/इ/ 2542

इलाहाबाद, दिनांक 22-2-, 1999

विषय—आपको ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

राजाज्ञा सं0- ई0एम0-1741/15-7-4(160)/1998, दिनांक- 28.7.98 द्वारा शासन ने ~~माध्यमिक समिति एवं तत्सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त~~ इण्टरमीडिएट शिक्षा ~~(संशोधन)~~ अधिनियम, 1921 ~~1987~~ की धारा 9(4) ~~7-क (ख)~~ के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 2000 की ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०)~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक ~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०)~~ से ~~9वीं~~ 11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सिंगल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्ययभार संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow

कृ० पृ० उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) [illegible] शिक्षा [illegible] के [illegible] कोई [illegible] पाये जाते हैं तो [illegible] प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) इन्टर स्तरीय 1500/- मूल्य की पुस्तकों की और एक माह में व्यवस्था कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इन्टर साहित्यिक नवीन।	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिकशास्त्र इतिहास, समाजशास्त्र।

टिप्पणी—(1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (निषुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/~~निरीक्षिका~~ कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न- भवन विश्लेषण।

भवदीय,

अवर सचिव।

17.02
16-2-99

पृष्ठांकन संख्या मा० शि० मान्यता/इ/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (बा०)~~, लखनऊ।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
(4) ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थापित अनुभाग।
(5) सचिव, मा० शि० प०, मुख्यालय, इलाहाबाद।

अवर सचिव।

Ideal Elementary Inter College Arjunganj, Lucknow FOUNDER/MANAGER

Principal Ideal Elementary Inter College Arjunganj, Lucknow

पी० एस० यू० पी०—199 मा० शि० प०—21-1-97—10,000 प्रतियां (पी० डी०)।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,
आइडियल एलीमेन्ट्री इण्टर कालेज
अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड लखनऊ

पत्रांक:–आई0 वी0 मान्यता/ 2099 दिनांक 4-11-2004

विषय:–इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7–क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2005 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे।

[कृ0 पृ0 उ0

Ideal Elementary/Inter College
Arjunganj, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

Ideal El... College
Arjunganj, Lucknow

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा भिन्न पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा ।

(ख)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट मानविकी वर्ग के अन्तर्गत अति० विषय	---	अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र तथा गृहविज्ञान

टिप्पणी:—उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

3/11/2-4

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

3/11/04

पृष्ठांकन संख्या : आई० वी० मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
2—संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3—संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
4—इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

Ideal Elementary Inter College Arjunganj, Lucknow FOUNDER/MANAGER

Principal Ideal Elementary Inter College Arjunganj, Lucknow

पी० एस० यू० पी०—72 ... शि० प०—20-7-2002—10,000 (जाब) ।

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड

सेवा में,

प्रेषक,
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रबन्धक,
आइडियल एलिमेन्ट्री इण्टर कालेज
अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड, लखनऊ

पत्र संख्या : आई० वी० मान्यता/ 429 दिनांक 13-5-2005

विषय :—इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या 430/15-7-05-4(2117)/ 2004 दिनांक 27 अप्रैल 2005 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अधीन आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग, विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय को प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने का विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण मिथ्या या गलत पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

(ह० प० प०)

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow

Scanned with OKEN Scanner

(ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा इस आशय का पारित प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क कके प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को दिया जाना अनिवार्य होगा । प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद्/ शासन द्वारा प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा ।

(ग) प्रश्नगत मान्यता हेतु प्रतिभूति धनराशि रुपया 5000/- विद्यालय के नाम एवं निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाये ।

(घ) विद्यालय भूमि/भवन / क्रीडास्थल की 3600 वर्गफुट भूमि में से प्रबन्धक का नाम हटाकर भूमि केवल विद्यालय के नाम होने का प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाय ।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक जाति0 वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, भौ0 विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान तथा गणित

टिप्पणी--उक्त पत्र में अंकित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ~~छः (6)~~ एक वर्ष माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

13/5/72-5

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

पृष्ठांकन संख्या:-- आई0 बी0 मान्यता/ दिनांक । 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
2 -संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

Ideal Elementary Inter College Sunjali, Lucknow FOUNDER/MANAGER

Principal Ideal Elementary Inter College Sunjali, Lucknow

पी0 एस0 यू0 पी0--71 आई0 बी0 वि0 प0--20-7-2002--10,000 (जाब) ।

रजिस्टर्ड

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आइडियल एलिमेन्ट्री इ0का0 अर्जुनगंज,
सुल्तानपुर रोड लखनऊ।

पत्रांकः मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ 1444 दिनांक 24-12- 2016

विषयः **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष–2019 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्रावधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

Elementary Inter College
Arjunganj Lucknow
FOUNDER/MANAGER

कृ0प0उ0

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Luck...

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 **5000/–** विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य अति0 वर्ग	हिन्दी	विवरण पत्रिका अनुसार

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ दिनांक 2016

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
2– सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
3– सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

Ideal Elementary Inter College Arjunganj, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow

Scanned with OKEN Scanner